न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 162/2020
3. उनवान : सरकार जरिये संदीप माथुर प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री चुन्नी लाल अग्रवाल निवासी प्लाट नं. 11, गणेश कालोनी, झोटवाडा, जयपुर, पुलिस थाना झोटवाडा।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री दीपक चौहान अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक कोटपूतली श्री संदीप माथुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, बयान, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि मुखबिर की घरेलू गैस सिलेण्डरों से छोटे सिलण्डरों मे अवैध रुप से गैस भर कर बिक्री करने की शिकायत पर अप्रार्थी श्याम सुन्दर अग्रवाल के घर व गोदाम पर दिनांक 11.02.2012 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 14 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी, 4 वाणिज्यिक सिलेण्डर (2एचपीसी+2बीपीसीएल), 7 रिलायन्स कम्पनी के सिलेण्डर, 2 सुपर कम्पनी के सिलेण्डर, 18 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर (क्षमता 2 किग्रा.), 80 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर (क्षमता 5 किग्रा.), 170 घरेलू गैस रेग्यूलेटर (80एचपीसीएल+90बीपीसीएल), 60 लोहे की बांसुरी (20बडी+40छोटी), एक सूर्या डिगी मार्का इलेक्ट्रोनिक कांटा, 132 घरेलू गैस सिलेण्डर कैप, 3 पीतल के रेग्येलूटर, 4 पेचकस व 1 पाने को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किया गया, ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 22.05.2012 को अधिवक्ता श्री दीपक चौहान ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी/अभिभाषक की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। उक्त तारीख पेशी पर पैरोकार रसद ने विभागीय प्रार्थना पत्र को ही बहस मानने का कथन किया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जय...